लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3045

06 अगस्त, 2018 को उत्तर के लिए

एफएसएनएल में अनियमितताएं

3045. श्री राजेश वर्मा:

क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को एफएसएनएल के एमडी/उच्च अधिकारियों के विरुद्ध कथित अनियमितताएं, नियमों की अवहेलना, कदाचार, अनुचित व्यवहार, उनके कर्मचारियों के शोषण की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान ऐसी कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) सरकार द्वारा इनमें अनियमितताओं/कदाचारों को रोकने के लिए एफएसएनएल के कार्यकरण की निगरानी हेतु क्या तंत्र स्थापित किया गया है; और

(घ) एफएसएनएल में शिकायतों/दिक्कतों के समाधान हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

इस्पात राज्य मंत्री (श्री विष्णु देव साय)

(क) और (ख): विगत तीन वर्षों अर्थात् वर्ष 2015, 2016 और 2017 के दौरान सरकार को फैरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एफएसएनएल) से संबंधित विभिन्न आरोपों के संबंध में विभिन्न स्रोतों से 85 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसमें से 64 शिकायतों पर कार्रवाई पूरी कर ली गई है। संबंधित अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई मामलों की जाँच-पड़ताल/पूछताछ के आधार पर की जाती हैं।

(ग) और (घ): इस्पात मंत्रालय का सतर्कता विभाग और एफएसएनएल का सतर्कता विभाग, जिनके प्रमुख उनके मुख्य सतर्कता अधिकारी (सरकार द्वारा नियुक्त) होते हैं, अनियमितताओं/कदाचारों की जाँच के लिए एफएसएनएल की कार्य-प्रणाली को मॉनीटर करते हैं। कर्मचारी द्वारा उठाई गई शिकायतों का समाधान एफएसएनएल की शिकायत निवारण नीति के अनुसार किया जाता है और सीपीजीआरएएमएस पोर्टल में प्राप्त शिकायतों को मंत्रालय द्वारा आवधिक रूप से मॉनीटर किया जाता है।

*****